भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 443

उत्तर देने की तारीख 04.02.2021

वनाधिकार दावों को खारिज किया जाना

443. श्रीमती फूलो देवी नेतम
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) 1 मार्च, 2020 से अब तक अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कितने दावे दर्ज किये गए हैं;

(ख) 1 मार्च, 2020 से अब तक कितने दावे खारिज किये गए हैं;

(ग) क्या इस अधिनियम के तहत लोगों के दावों को ग्राम सभाओं से संपर्क करने के बजाय वेब आधारित अप्लिकेशन 'वन मित्र' ऐप, जो उपग्रह नक्शों का उपयोग करता है, के निष्कर्षों का उपयोग करके खारिज किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षिप्त में एफआरए) के अनुसार; अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक एफआरए के तहत 1544 दावे दर्ज किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक एफआरए के तहत 3152 दावे निरस्त किए गए हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को ऐसे किसी भी अस्वीकृति की सूचना नहीं मिली है जो सैटेलाइट मानचित्र (मैप) के उपयोग से बनाई गई हो। एफआरए, 2006 के तहत नियमावली के नियम 13 के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी दावाकर्ताओं द्वारा पेश किए जाने वाले अन्य साक्ष्यों के लिए केवल अनुपूरक जानकारी हो सकती है, की परिकल्पना है। यह अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 (एफआर नियमावली) के नियम 12 क (11) के तहत स्पष्टीकरण 2 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जिसमें प्रावधान है कि सैटेलाइट इमेजरी और प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग, साक्ष्य के लिए अन्य रूप को पूरक कर सकता है और इसे प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित धारा 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को दिनांक 12.7.2012 को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। उक्त दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि किसी भी प्रौद्योगिकी, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग, दावे पर विचार करने के लिए किसी दावेदार द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के अनुपूरक के लिए किया जाना चाहिए और अपने दावों के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात, इस मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एफआरए, 2006 के अनुसार जिम्मेदार है, को दिनांक 28.04.2015 और 27.07.2015 को उसी स्थिति को दोहराते हुए पत्र भी जारी किया है और वास्तविक दावेदारों की पहचान करने के लिए जीपीएस/एन्ड्रयॉड फोन आदि का उपयोग करके दावों की जमीनी (ग्राउन्ड) सत्यापन की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

एफआर नियमावली के नियम 6 (ख) के अनुसार भी सामान्य रूप से जिला प्रशासन और विशेष रूप से एसडीएलसी से उम्मीद की जाती है कि वे उन्हें वन और राजस्व मानचित्र (मैप) प्रदान करके ग्राम सभाओं और एफआरसी की सहायता करें। इस संदर्भ में भू-संदर्भित नक्शे तैयार किए जा सकते हैं और ग्राम सभाओं को प्रदान किए जा सकते हैं।

*****